SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विधि से संघर्षरत् किशोरो के पुर्नवास में बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका : जगदलपुर के विशेष संदर्भ में

तूलिका शर्मा, सामाज कार्य विभाग,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author :
तूलिका शर्मा, सामाज कार्य विभाग,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/04/2020
Revised on : -----
Accepted on : 11/04/2020
Plagiarism : 05% on 01/04/2020

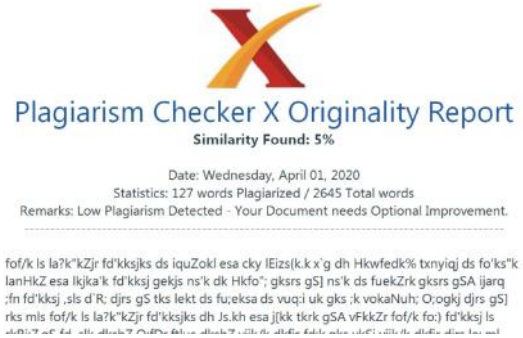
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 5%

Date: Wednesday, April 01, 2020
Statistics: 127 words Plagiarized / 2645 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

fof/k ls la?k"kZjr fd'kksjks ds iquZokl esa cky lEizs{k.k x'g dh Hkwfedk% txnyiqj ds fo'ks"k lanHkZ esa lkjka'k fd'kksj gekjs ns'k dk Hkfo"; gksrs gS] ns'k ds fuekZrk gksrs gSA ijarq ;fn fd'kksj ,sls d`R; djrs gS tks lekt ds fu;eksa ds vuq:i uk gks ;k vokaNuh; O;ogkj djrs gS] rks mls fof/k ls la?k"kZjr fd'kksjks dh Js.kh esa j[kk tkrk gSA vFkkZr fof/k fo:) fd'kksj ls

शोध सारांश :–

किशोर हमारे देश का भविष्य होते है, देश के निर्माता होते है। परंतु यदि किशोर ऐसे कृत्य करते है, जो समाज के नियमों के अनुरूप ना हो या अवांछनीय व्यवहार करते है, तो उसे विधि से संघर्षरत् किशोर की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात् विधि विरूद्ध किशोर से तात्पर्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध कारित किया हो और अपराध कारित करते समय उसने 8 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। इस स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति पर तो प्रभाव पड़ेगा ही साथ ही साथ देश के निर्माण एवं विकास में उनकी भागीदारी नगण्य हो जायेगी। 18 वर्ष से कम आयु के बालक यदि विधि का उल्लंघन करते पाये जाते है, तो बाल सम्प्रेक्षण गृह उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोडने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे किशोर देश के निर्माण एवं विकास में अपनी भागीदारी दे सके। इस शोध में विधि से संघर्षरत किशोरो के विकास एवं पुर्नवास में छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर शहर में स्थापित बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका का अध्ययन किया गया है। अध्ययन यह प्रदर्शित करता है, कि बाल सम्प्रेक्षण गृह विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरो में विभिन्न सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन एवं उनके व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करते हुए, समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

मुख्य शब्द :–

किशोर, विधि का उल्लंघन, पुनर्वास, बाल सम्प्रेक्षण गृह।

प्रस्तावना :–

ऐसे किशोर जिन्होनें विधि का उल्लंघन किया हो, बाल सम्प्रेक्षण गृह उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था करता है। सम्प्रेक्षण गृह में निवास के दौरान बालकों को देखरेख, संरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। बाल संप्रेक्षण गृह बालकों के साथ मित्रवत् व्यवहार अपनाते हुए उन्हें आधारभूत सुविधाओ के साथ–साथ आजीविका संबंधी प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराकर उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास करते है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 54 अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन किया जावेगा, जो प्रत्येक तीन माह में इन सम्प्रेक्षण गृहों एवं अन्य बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई को सौंपेगें । साथ ही नियमानुसार सम्प्रेक्षण गृहों में सुधार और विकास हेतु आवश्यक सुझाव भी देंगी। बाल संरक्षण संस्थाओं में शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य आदि सेवाऐं पुनर्वास हेतु शामिल किये जाते है, ताकि किशोरो को समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाया जा सके। सम्प्रेक्षण गृह निवासरत किशोरों की व्यक्तिगत देखरेख कार्ययोजना तैयार कर, उनके पुनर्वास हेतु कार्य कर रहे है। एक वयस्क व्यक्ति जब अपराध कारित करता है तो उसके मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जाती है। उसी प्रकार जब कोई किशोर विधि का उल्लंघन करता है, तो उसके प्रकरण की सुनवाई जिले में स्थापित किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से की जाती है। जिसमें एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत 02 सदस्य शामिल होते है, जिसमें 1 महिला का होना अनिवार्य है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में किशोर द्वारा कारित अपराधों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है :–

स्त्रोत :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, द्विभाषी संस्करण, इलाहबाद लॉ पब्लिकेशन, अक्टूबर 2016।

किशोर का आशय :–

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही की है, वह किशोर है। किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार ऐसा लड़का जिसकी आयु 16 वर्ष से कम एवं ऐसी लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो किशोर है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 अनुसार, बालक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

सम्प्रेक्षण गृह का आशय :–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 47 अनुसार राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिलों में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी। सम्प्रेक्षण गृह अर्थात् ऐसा स्थान जहां किसी विधि के विरूद्ध प्रकरण में संलग्न किशोर जांच लंबित होने तक अस्थाई तौर पर रहेगा, जहॉ किशोरो के भरण–पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

तालिका – 1 भारत में किशोर न्याय अधिनियम

क्रमांक	अधिनियम	अधिनियम का उद्देश्य
1	किशोर न्याय अधिनियम 1986	किशोरो की देखरेख, सुरक्षा, व्यवहार विकास और अवहेलित व बच्चों को पुनर्स्थापित करना।
2	किशोर न्याय अधिनियम 2000	किशोर अपराध, समुचित देखरेख, विकास, एवं उनके विकास की जरूरतें व बाल हित एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुनर्स्थापना।
3	किशोर न्याय अधिनियम 2015	बालकों के संपूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए न्याय निर्णयन एवं मामलों का निपटारा करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं किशोरों की देखरेख, विकास, उपचार व पुनर्वास की व्यवस्था करना।

स्त्रोत :– लेखक द्वारा विश्लेषण, किशोर न्याय अधिनियम, भारत सरकार।

शोध का उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध ''विधि से संघर्षरत किशोरो के पुर्नवास में बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका : जगदलपुर के विशेष संदर्भ में'' में निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जिससे शोध को निश्चित दिशा दी जा सके।

1. किशोरों के पुनर्वास में बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका का अध्ययन करना।
2. संप्रेक्षण गृह में निवासरत बालकों के अपराधिक वर्गीकरण का अध्ययन।
3. बाल सम्प्रेक्षण गृह को प्रभावी बनाने एवं किशोरो में सुधार हेतु सुझाव।

साहित्य का पुनर्विलोकन :–

अध्ययनकर्ता के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित जो अध्ययन/शोध किये जा चुके है उनमें कुछ मुख्य का विश्लेषण निम्नलिखित है :–

निछोले लिंड (2013) ने अपने अध्ययन में बालको द्वारा किये गये अपराध में मानसिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन किया है। जिसके अनुसार परिवार का वातावरण बालको की मानसिक स्थिति के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है एवं मानसिक परिपक्वता भी अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। यदि मानसिक परिपक्वता अधिक होगी, तो अपराधी व्यवहार कम होगें।

फ्रीमैन (2012) के अध्ययन के अनुसार सुधार गृह में अधिकांश बालक निम्न बुद्धि के होते है। उन बालको में सुधार के प्रयास करना आवश्यक होता है, ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके एवं वे समाज में सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।

गैरी (1996) के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि जिन बालको की रूचि शिक्षा में कम थी एवं जो बालक शाला त्यागी थे। उनमें बाल अपराध प्रवृत्ति अधिक पाई गई। अधिकांशतः ये प्रवृत्ति नशीली दवाईयों के सेवन, शराब एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति से अधिक विकसित होती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भारतीय दंड संहिता पंजीकृत किशोरों द्वारा किये गये अपराधों में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2010 में किशोरों द्वारा किये गये अपराधों की संख्या 22,740 थी, वहीं 2014 में ये ऑकड़े 33,526 तक पहुंच गये।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध में शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के बाल सम्प्रेक्षण ग्रह का अध्ययन किया गया है। भारत में बाल अपराध के ऑकड़ों का अध्ययन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार की वेबसाइड से किया गया है। शोध कार्य के उद्देश्यों की पूर्ती हेतु द्वितीयक ऑकड़ो का संकलन किया गया है।

प्रमुख तथ्य :–

भारत में किशोर अपराध एक गंभीर समस्या बन गई है। किशोरों द्वारा किये गये अपराध लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे है। समाजीकरण उचित तरीके से न हो पाने के कारण किशोरों की मनोवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे उनमें अपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। इस शोध ''विधि से संघर्षरत् किशोरों के पुनर्वास में बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका : जगदलपुर के विशेष संदर्भ में'' महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये है। शोध से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है :–

ग्राफ – 1, भारत में किशोरों द्वारा किये गये विधि के विरूद्ध प्रकरण

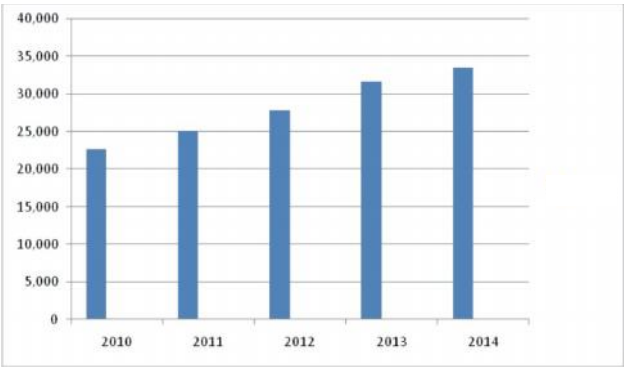

स्त्रोत – राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार।

तालिका क्रमांक – 2 सम्प्रेक्षण गृह में वर्ष 2019–20 में निवासरत बालकों की अपराधिक प्रकृति संख्या

क्र.	संस्था का नाम	वर्ष 2019–20 में बालकों की कुल संख्या	अपराध की प्रकृति		
			सामान्य अपराध	गंभीर अपराध	जघन्य अपराध
1	सम्प्रेक्षण गृह (बालक) जगदलपुर	89	0	2	87
2	प्लेस ऑफ सेफ्टी जगदलपुर	12	0	0	12
3	विशेष गृह (बालक) जगदलपुर	7	0	0	7
	कुल संख्या –	**108**	**0**	**2**	**106**

स्त्रोत – बाल सम्प्रेक्षण गृह, महिला एवं बाल विकास विभाग, जगदलपुर, छ.ग. शासन।

तालिका क्रमांक – 3 वर्तमान में जगदलपुर में विभिन्न अपराधों में संलग्न किशोरों का विवरण।

क्रं.	धारा/एक्ट	धारा से संबंधित अपराध	किशोरो की संख्या
1	34 आईपीसी	कोई भी अपराध जो सामान्य आशय के संयुक्त होकर उक्त कृत किया गया हो	10
2	67 आईपीसी	जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो	1
3	147 आईपीसी	बल्वा (बल और हिंसा) करने के लिए दण्ड	2
4	148 आईपीसी	घातक शस्त्रों के साथ बल्वा करना	2
5	149 आईपीसी	सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त होकर किया गया कोई अपराध	2
6	211 आईपीसी	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप	1
7	302 आईपीसी	हत्या करना	9
8	306 आईपीसी	आत्महत्या के लिए उकसाना	1

9	307 आईपीसी	हत्या करने का प्रयत्न	2
10	323 आईपीसी	शारीरिक रोग, पीड़ा और अंग शिथिल	1
11	326 आईपीसी	घातक अस्त्र द्वारा अंग को विच्छेद करना	1
12	327 आईपीसी	संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामन्य उपहति कारित करना या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए	1
13	341 आईपीसी	सदोष अवरोध (निश्चित दिशा में जाने से रोकना) के लिए दण्ड	2
14	363 आईपीसी	अपहरण के लिए दण्ड	7
15	366 आईपीसी	किसी स्त्री को विवाह के लिए या जबरन संभोग के लिए अपहरण करना	9
16	376 आईपीसी	बलात्कार के लिए दण्ड	17
17	376 (क) आईपीसी	पीड़िता की मष्त्यु करना या पीडिता को विकृतचित कर देना।	1
18	376 (ख) आईपीसी	पति द्वारा अपनी पत्नी से विच्छेद होने के बाद जबरदस्ती सहवास कारित करने के लिए	4
19	376 (घ) आईपीसी	किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कारित करने हेतु	9
20	380 आईपीसी	निवास गृह में चोरी	5
21	392 आईपीसी	लूट करने के लिए दण्ड	1
22	394 आईपीसी	लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करने हेतु	3
23	427 आईपीसी	रिष्टि (सम्पत्ति का नाश) जिससे पचास हजार रूपए का नुकसान होता है।	1
24	450 आईपीसी	आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार	1
25	454 आईपीसी	कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए अपने आप को छिपाकर किसी व्यक्ति के निवास गृह प्रवेश	1
26	457 आईपीसी	रात्रों (सूर्य अस्त के पश्चात् एवं सूर्य उदय से पहले) गृह भेदन या रात्रों गृह अतिचार	2
27	458 आईपीसी	योजना बनाकर रात्रों गृह भेदन (अपने को छुपाकर घर में प्रवेश) हेतु	1
28	459 आईपीसी	अपने आप को छिपाकर घर में प्रवेश करना एवं मारपीट करने अंग विच्छेद करना	1
29	506 आईपीसी	आपराधिक अभित्रास (धमकी) का अपराघ	2
30	04 पाक्सो एक्ट	प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड	9
31	06 पाक्सो एक्ट	गुरूत्तर प्रवेशन (क्रूरता के साथ) लैंगिक हमले के लिए	15
32	17 पाक्सो एक्ट	दुष्प्रेरण के लिए दण्ड	1
		कुल विधि से संघर्षरत् किशोरो की संख्या ये कुल किशोरो की संख्या है, जिनमें एक किशोर पर एक से अधिक धारायें लगी है।	**43**

स्त्रोत – बाल सम्प्रेक्षण गृह, महिला एवं बाल विकास विभाग, जगदलपुर, छ.ग. शासन।

वर्तमान में जगदलपुर के बाल सम्प्रेक्षण ग्रह में 36 किशोर, प्लेस ऑफ सेफ्टी में 03 किशोर एवं विशेष गृह में 4 किशोर निवासरत् है, जो विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराधों में संलग्न है। वर्तमान सम्प्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरो के ऑकड़ों के अनुसार धारा 376 (बलात्कार के लिए) के अपराध में सर्वाधिक बालक संलग्न है। एवं पाक्सो एक्ट में धारा 06 जो कि गुरूत्तर प्रवेशन (क्रूरता के साथ) लैंगिक हमले से संबंधित है, सर्वाधिक बालक इससे संबंधित पाये गये है।

बच्चों में अपराध के कारको के आधार सामाजिक, आर्थिक, एवं मानसिक हो सकते है। सामाजिक शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, बच्चों के आस – पास का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, निर्धनता आदि अनेक कारको के कारण बच्चों में अपराध करने की मनोवृत्ति का विकास होता है। इन असामाजिक, अवांछनीय कृत्यों में संलग्न होने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता है। ये बच्चे समाज में सरकार के लिए चुनौतियों के रूप में सामने आते है। जिनके पुनर्वास हेतु सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

किशोरो के समग्र विकास हेतु बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका :–

किशोरों में अपराध को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाये। इस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर शहर के बाल सम्प्रेक्षण गृह में विधि के साथ संघर्षरत् किशोरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय प्रयास किये जा रहे है। संस्थागत संचालित गतिविधियां निम्नलिखित है –

1. ओपन स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा – छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल शिक्षा के माध्यम से कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 12वीं परीक्षा देने हेतु वर्ष 2019–20 में सम्प्रेक्षण गृह (बालक) संस्था के 02 बच्चे एवं प्लेस आफ सेफ्टी संस्था के 02 बच्चे पंजीकृत हैं। जो बच्चे संस्था प्रवेश से पूर्व स्कूल छोड़ चुके है या नियमित स्कूल जा रहे थे उनकी परीक्षा की तैयारी हेतु शिक्षा विभाग से समन्वय कर शिक्षक की व्यवस्था की गई है, जो बच्चों को रोजाना निर्धारित समय पर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर परीक्षा की तैयारी कराते है।
2. व्यवसायिक प्रशिक्षण – सभी संस्थाओं में जन शिक्षण संस्थान के सहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु इलेक्ट्रीकल, पेपर लिफाफा मेकिंग, मशरूम उत्पादन एवं स्क्रीन प्रिंटिंग ट्रेड चलाया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में पेपर लिफाफा मेकिंग ट्रेड चलाया गया जिसमें संस्था के 16 से 18 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के बालको को पंजीकृत किया गया है जिसके अंतर्गत सम्प्रेक्षण गृह (बालक) के 14 बालक, प्लेस ऑफ सेफ्टी के 4 बालक एवं विशेष गृह (बालक) के 2 बालक कुल 20 बालकों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया गया एवं वर्तमान में 20 नये बालकों को पंजीकृत कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3. नियमित स्वास्थ जांच – जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय कर संस्थागत बालकों का प्रतिमाह स्वास्थ जांच कराया जाता है एवं आपातकालीन स्थिति में संस्था में कार्यरत पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा प्राथमिक उपचार किया जाता है एवं आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
4. संस्थागत अन्य गतिविधियां – संस्थागत गतिविधियों में बच्चों की दिनचर्या जो कि सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहती है जिसकी देखरेख एंव क्रियान्वयन करने हेतु हाउस मदर/फादर कर्मचारी नियुक्त है, उनके द्वारा बालकों से प्रेमपूर्वक व्यवहार, उनसे व्यक्तिगत अनुशासन का पालन कराना तथा योगा, प्रार्थना, नाश्ता, भोजन, भजन, खेलकूद (इनडोर एवं आउटडोर), सृजनात्मक गतिविधियां, व्यक्तिगत साफ सफाई एवं किचन गार्डनिंग इत्यादि सम्मलित हैं, कराया जाता है।

बाल सम्प्रेक्षण गृह को प्रभावी बनाने एवं किशोरों में सुधार हेतु सुझाव :–

आज का किशोर देश का भविष्य है, परंतु अगर वही किशोर अपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाये तो कल ये एक बड़े अपराधी बन सकते है। ये देश के लिए गंभीर समस्या ना बने इसके लिए आवश्यक है कि किशोरों को विकास के अवसर उपलब्ध कराये जाये और इस समस्या पर नियंत्रण किया जाये। उपरोक्त बिन्तुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में पाये गये किशोरों के विकास के लिए सुझाव निम्नलिखित है –

- बालकों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए।

- बाल सम्प्रेक्षण गृह द्वारा बालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए।
- बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें धार्मिक कथायें, सफल एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में बताया जाना चाहिए।
- बालकों के कौशल के बारे में जानकार उनके कौशल का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- बालको को आजीविका से जोड़ना जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, जिससे उनको असामाजिक कृत्यों को करने से रोका जा सकता है।
- बालको की मानसिक स्थिति एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु उनको समय–समय पर परामर्शदाता द्वारा परामर्श देना चाहिए।

निष्कर्ष :–

सम्प्रेक्षण गृह जगदलपुर द्वारा संस्था में निवासरत अंतःवासी विधि से संघर्षरत् किशोरों के व्यवहार में सुधारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए संस्था द्वारा विभिन्न सुधारात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक, खेलकूद व विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों तथा मनोचिकित्सीय व परामर्श सेवाओं के माध्यम से उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करके उनके अंदर सकारात्मक उर्जा और सोच उत्पन्न कर, व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही ऐसे बालकों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं के आधार पर उनकी व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाती है, जिसके अध्ययन उपरांत उनके लिए उनकी आवश्यकताओं व जरूरत के अनुरूप कार्य किया जाता है, जिससे जब कोई विधि से संघर्षरत् किशोर सम्प्रेक्षण गृह से निर्मुक्त होकर संस्था से बाहर जाऐ तो, वह समाज की मुख्यधारा से जुड सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. *किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, द्विभाषी संस्करण, इलाहबाद लॉ पब्लिकेशन, अक्टूबर 2016।*
2. *मानवेन्द्र, संविधान प्रदत्त बाल अधिकार : किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में विशेष अध्ययन, एआईजेआरए, वॉल्यूम III इश्यू I, आईएसएसएन 2455–5967।*
3. *निछोले लिंड (2013), इ इंपेक्ट ऑफ मेचुरिटी एंड पेरेंटिंग स्टाइल इन डेलिंक्वेंट बहविओर्स https://scholars.fhsu.edu/theses*
4. *फ्रीमैन, जे. (2012), निम्नबुद्धि, अपराध एवं हिरासत में परिणामः एकगुट की संक्षिप्त समीक्षा, वल्नैरेबल ग्रुप्स एण्ड इंक्लूशन, 3, www.vulnerablegroupsandinclusion.net*
5. *गैरी, इ. (1996), अनुपस्थितिः जीवन की समसयाओं की प्रथम सीढ़ी, जुवेनाइल जस्टीस बुलेटीन, 141।*
6. *बाल सम्प्रेक्षण गृह, महिला एवं बाल विकास विभाग, जगदलपुर, छ.ग. शासन।*

****